भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *150

(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

ऑपरेशन सिंदूर संबंधी दुष्प्रचार को रोकना

*150. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में फर्जी समाचारों, फर्जी खातों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग में टीवी चैनलों और समाचार-पत्रों जैसे परम्परागत मीडिया प्लेटफार्मों को संवेदनशील बनाए जाने का निर्देश देने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में किन्हीं मीडिया प्लेटफार्मों या व्यक्तियों द्वारा रिपोर्टिंग करने अथवा गलत सूचना देने अथवा गलत समाचार फैलाने के कारण उनके विरुद्ध कोई निर्देश जारी किए हैं अथवा कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में देश को ऐसे गलत सूचना अभियानों से बचाने के लिए कोई अन्य उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर संबंधी दुष्प्रचार को रोकने के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *150 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सरकार उपलब्ध सांविधिक और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यह देखा गया कि बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें, गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार अभियान चलाए जा रहे थे, जिनमें से अधिकांश भारत के बाहर से थे। सरकार ने ऐसे गलत सूचना अभियानों का मुकाबला करने के लिए सक्रिय कदम उठाए:

प्रामाणिक सूचना प्रदान करना: भारत सरकार ने समय-समय पर मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की और मीडिया तथा नागरिकों को सूचित किया। रक्षा बलों द्वारा किए गए अभियानों का विवरण, प्रासंगिक ऑडियो-विजुअल और सैटेलाइट चित्रों के साथ समझाया गया। इन ब्रीफिंग्स में प्रामाणिक सूचना दी गई।

अंतर-मंत्रालयी समन्वय: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतःविषयक और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम करता था और सभी मीडिया हितधारकों को रियल टाइम पर सूचना प्रसारित करने में सहायता करता था। इस नियंत्रण कक्ष में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के नोडल प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी मीडिया यूनिटों के अधिकारी और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के अधिकारी शामिल थे। फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट की सक्रिय रूप से पहचान की गई।

फैक्ट चेक: पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी छवियों, संपादित वीडियो, भ्रामक आख्यानों और ऑपरेशन के उद्देश्यों, सरकारी एजेंसियों या सुरक्षा बलों को लक्षित करने वाली किसी भी हेरफेर की गई सामग्री का पता लगाने के लिए रियल टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और ऑनलाइन समाचार स्रोतों की सक्रिय रूप से निगरानी की।

यूनिट ने भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया और ऐसी सामग्री का खंडन करने वाली कई पोस्टों की तथ्य-जांच की। इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित गलत सूचना या झूठी खबरों से संबंधित लिंक, जिनकी तथ्य-जांच एफसीयू द्वारा की गई थी, को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित मध्यस्थों के साथ तुरंत साझा किया गया।

फैक्ट चेक यूनिट के प्रयासों की मीडिया द्वारा सराहना की गई। कुछ लेखों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

- **भारत की एफसीयू ने 'ऑपरेशन सिंदूर 'के बाद पाकिस्तान के डिजिटल दुष्प्रचार का तीखा खंडन किया**
  https://www.newindianexpress.com/nation/2025/May/10/indias-fcu-battles-pakistans-digital-propaganda-with-swift-rebuttals-following-operation-sindoor
- **ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठे दावों को उजागर करने के लिए सरकारी फैक्ट चेक युनिट सक्रिय हो गई है**
  https://www.livemint.com/industry/media/india-pib-govt-fact-checking-unit-operation-sindoor-misinformation-false-claims-11746770729519.html
- **भारत पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान से कैसे लड़ रहा है?**
  https://www.hindustantimes.com/india-news/how-india-is-fighting-pakistan-s-disinformation-campaign-101746644575505.html

ब्लॉकिंग: यह देखा गया कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल, जिनमें से कई भारत के बाहर से संचालित हो रहे थे, सक्रिय रूप से झूठी और संभावित रूप से हानिकारक सूचना का प्रचार कर रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत, सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए।

मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान **डिजिटल मीडिया पर 1,400 से ज़्यादा यूआरएल ब्लॉक** करने के निर्देश भी जारी किए। इन यूआरएल में झूठी, भ्रामक, भारत-विरोधी समाचार सामग्री, मुख्य रूप से पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और भारतीय सशस्त्र बलों के ख़िलाफ़ भड़काऊ सामग्री शामिल थी।

मीडिया के लिए एडवाइजरी: 26 अप्रैल 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज दिखाने से परहेज करने हेतु एडवाइजरी जारी की।

*****